न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निग0 1686–एक/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 1–6–12 पारित द्वारा अपर कलेक्टर, मुरैना प्रकरण कमांक 91/2011–12.

———

शिवसिंह पुत्र श्री मनभावन सिंह
निवास परदू का पुरा, तहसील पोरसा,
जिला मुरैना म.प्र. ——— आवेदक

विरूद्ध

1– ओमप्रकाश सिंह नरवरिया
पुत्र श्री मनभावन नरवरिया
निवास – परदू का पुरा तहसील पोरसा,
जिला मुरैना म.प्र. हाल निवासी कृषि विभाग,
जिला अनूपपुर म.प्र. ——— असल आवेदक

2– जवान सिंह पुत्र श्री गजराज सिंह

3– अजान सिंह पुत्र गजराज सिंह,

4– रामसिंह पुत्र श्री मनभावन सिंह
निवासीगण परदू का पुरा तहसील पोरसा
जिला मुरैना म.प्र.

5– म0प्र0 शासन कलेक्टर जिला मुरैना ——— तरतीवी अनावेदकगण

———

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री उदयभान सिंह राजपूत ।
अनावेदक कं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीप राज पाण्डे ।

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 09 फरवरी/15 को पारित)

———

यह निगरानी अपर कलेक्टर, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 91/11–12/नि. मा. में पारित आदेश दिनांक 01–6–12 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । आलोच्य आदेश द्वारा अपर कलेक्टर ने निगरानी आवेदन प्रचलन योग्य न होने से निरस्त किया गया है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा विचारण न्यायालय में संहिता की धारा 178 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर

विचारोपरांत तहसीलदार ने आदेश दिनांक 10–1–11 द्वारा बटवारा आदेश पारित किया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक क. 1 द्वारा एस.डी.ओ. के समक्ष अपील पेश की जिसमें उन्होंने दिनांक 18–4–12 को अंतरिम आदेश पारित करते हुए अनावेदक क. 1 के विरूद्ध की गई एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त करते हुए प्रकरण तर्क हेतु नियत किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की जो अपर कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा प्रचलन योग्य न होने से निरस्त की गई है । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से उन्हीं तर्कों को दोहराया गया है जो उन्होंने निगरानी मेमो में उद्धरित किये हें साथ ही लिखित बहस भी पेश की गई है ।

4– अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश एवं अपर कलेक्टर के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण बटवारे का है जो परिवार में आपसी व्यवस्था के कारण प्रस्तुत किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी जो आदेश पारित किया है उसमें उन्होंने अनावेदक क. 1 पर हुई तामीली को विधिवत न मानते हुए उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को समयसीमा में मान्य किया गया है । विलंब क्षमा करना या न करना न्यायालय का विवेकाधिकार है । प्रकरण का निराकरण अभी गुणदोष पर अनुविभागीय अधिकारी को करना है जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर कलेक्टर के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर